न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 33/2014

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. छैलसिंह पुत्र वचनसिंह जाति राजपूत निवासी सरण का खेड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रेवदर 2. रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी सरण का खेड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेशचन्द्र सुरणा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 5.11.18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्व निगरानी संख्या 03/2013 छैलसिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सरण का खेडा तहसील रेवदर के खसरा नम्बर 1054/4 रकबा 1.00 बीघा भूमि अपीलाण्ट को आवंटन हुई थी, जो कालान्तरण में निरस्त किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रकरण विचाराधीन है। उक्त भूमि पर आज भी अपीलाण्ट काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट करते हुए 19.02.2013 को आवंटन करवा दिया, जबकि उस समय उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका था एवं उनके द्वारा बेक डेट में आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पूर्व में दिनांक 10.09.2007 को भूमि का नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर पटवारी द्वारा भूमि का दो पक्षों में विवाद होने की रिपोर्ट दी गई थी। उसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आवेदन निरस्त किया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का नियमन किया जाना उचित नहीं पाया गया था, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नियमन किया गया है, इस कारण उक्त आदेश पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा ही नहीं है, इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में नियमन अथवा आवंटन नहीं किया जा सकता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही इस भूमि के सम्बन्ध में ही नहीं है। आवंटन से पूर्व धारा 7 से 13 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों की कोइ पालना नहीं की गई है। अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, गुपछुप तरीके से उक्त नियमन किया गया है, जिसे नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को खसरा नम्बर 1054 की राजकीय बिलानाम आराजी में 0.03 बीघा भूमि का संपरिवर्तन दिनांक 27.09.2004 को किया गया था, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 1992 के तहत किया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटन अथवा नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर पत्थर पड़े है व बाड़ टुटी हुई है, वह बाड किसकी है एवं किसके द्वारा, कब की गई है, किसके स्वामित्व की है, कोई जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ प्राप्त करने की नियत से आवंटन/नियमन किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये यथावत रखा गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 19.02.2013 को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का पुराना कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलाण्ट को आवंटित की गई थी, जिस पर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14 (4) में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त किा गया। जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं मकान भी निर्मित है। ये भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन न होकर पुराना कब्जा काश्त होने के कारण नियमन हुई थी। इस भूमि का कुछ हिस्सा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित है। इनका कहना है कि हमारा कब्जा है, वो गलत है। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि के वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लेने हेतु फोटोग्राफ प्रस्तुत किए है, जिसमें मौके पर कुछ हिस्से पर आवासीय निर्माण एवं शेष भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त दर्शित है। उक्त नियमन आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर किया गया है, उपखण्ड अधिकारी तो मात्र आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जारी करता है। अपीलाण्ट उक्त भूमि का विवादित होना बताते है, जबकि ऐसी कोई पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध ही नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन निरस्त हेतु कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट द्वारा गलत आधार अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं होकर, रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है, इसके समर्थन में खसरा गिरदावरी आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा गलत आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की व्याख्या करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 834 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम हरणी अमरपुरा के खसरा नम्बर 1054/4 रकबा 1.19 बीघा की भूमि पूर्व में अपीलाण्ट को आवंटित थी, जिसका आवंटन निरस्त किया जा चुका है तथा बकौल वकील अपीलाण्ट उक्त निरस्तीकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में स्पेशल अपील विचाराधीन है। उक्त आवंटन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपास्त किया है, जिसकी पुष्टि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील/एलआर/59/2001/सिरोही बअनवान रामसिंह बनाम छैलसिंह में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2002 के द्वारा की गई है। इसके पश्चात उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सिवायचक दर्ज हो चुकी थी। इस सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर आबू पर्वत द्वारा दिनांक 29.08.2006 को निर्णय पारित करते हुए विवादित आराजी पर वादी का कब्जा मानते हुए तहसीलदार रेवदर को आदेश दिये गए है कि वे वादी के पुराने कब्जा को देखते हुए वादी का वादग्रस्त भूमि नियमन एवं आवटन को प्राथमिकता देते हुए आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करें। उक्त आदेश एवं रेस्पोडेन्ट के पुराने कब्जा काश्त को देखते हुए प्रकरण में आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में नियमन किया गया है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट का मुख्य आधार यह रहा है कि रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है, जबकि उक्त प्रश्न को न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा वाद संख्या 01/2005 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2006 में अभिनिर्धारित किया जा चुका है, जिसमें जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का पुराना कब्जा प्रमाणित मानते हुए प्रकरण को आवंटन नियमन सलाहकार समिति के समक्ष रख कर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश तहसीलदार को दिये थे। इस कारण उक्त बिन्दु को विवादित करने का कोई आधार ही नहीं है। अब जहां तक विधि का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहत भूमि के नियमन के प्रावधान है, जिसमें पुराने कब्जे के आधार पर भूमि के नियमितिकरण के प्रावधान है। इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प0 6(7)राज–4/77/2 दिनांक 10.01.2013 में यह प्रावधित किया गया है कि राजकीय सिवायचक भूमियों पर कृषि प्रयोजनार्थ किए गए अतिक्रमण के नियमन हेतु तिथि दिनांक 01.01.2005 निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2005 तक किए अतिक्रमण को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमित किया जा सकता है। उक्त आदेश एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आबू पवर्त द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2005 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2006 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का जैर अपील विवादित आराजी पर पुराना कब्जा काश्त होने के आधार पर भूमि का नियमितिकरण किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये पुष्ट किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित राजस्व निगरानी संख्या 03/2013 छैलसिंह बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 5.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही